Email ID- actw.mdl@mp.gov.in, 07642-250622

कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग मंडला

क्रमांक / सहा.आयु. / शि.स्था. / 2025 / 1601 मंडला दिनांक 18 /02/2025

प्रति,

सहायक संचालक,
सूचना एवं प्रकाशन
जनसम्पर्क कार्यालय मंडला।

विषयः– दैनिक समाचार पत्रों में शासकीय प्रेस नोट प्रकाशित बावत्।

––––00––––

कृपया निम्नांकित शासकीय ''प्रेस नोट'' दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराने का कष्ट करें :–

''प्रेस नोट''

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया का प क्र. / अ.वि.अ.(रा) / शिकायत / 2025 / 1768 दिनांक 15.02.2025 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 10 / 02 / 2025 को रात्रि 12 से 1 बजे के बीच नेताजी सुभाश चन्द बोस बालिका छात्रावास खलौडी विकास खण्ड मवई में हुई पत्थरवाजी की घटना एवं एकीकृत माध्यमिक शाला खलौडी के शिक्षकों के द्वारा छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार के डर से छात्रावास की बालिकाओं के शाला न जाने की सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया, एवं अन्य जांच दल के सदस्यों द्वारा जांच की गई जिसमें जांच समिति के द्वारा दिये गये निष्कर्श के आधार पर छात्राओं का शैक्षणिक स्तर निम्नतर है,छात्राओं को जोड़ना–घटाना, गुणा–भाग जैसी गणितीय मूलभूल संक्रियाओं की समझ न होना, प्रीबोर्ड परीक्षा के उपरांत छात्र–छात्राओं को निदानात्मक कक्षाओं के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाने के साथ ही बालिकाओं के अकेले होने पर अनुचित व्यवहार किया जाना, जाति सूचक शब्दों से छात्राओं को संबोधित करना, बालिकाओ के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार रखना पाया गया। उक्त के कारण आदेश क्रमांक /1548 दिनांक 18.02.2025 के द्वारा श्री कोमल सिंह कुशराम प्राथमिक शिक्षक को एवं आदेश क्रमांक 1546 दिनांक 18.02.2025 द्वारा श्रीमती रम्मी सार्वे (माहेश्वरी),प्राथमिक शिक्षक,एकीकृत माध्यमिक शाला खलौडी विकास खंड मवई, जिला मण्डला को तत्काल प्रभाव से **निलंबित** किया जाकर मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय घुघरी जिला मण्डला निहित किया गया है। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जावेंगा। उनके विरूद्ध विभागीय जांच हेतु आरोप पत्रादि पृथक से जारी किये जावेगे।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग मण्डला